निर्णय ब–इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 16/2022 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये अरविन्द सिंह प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर, प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

1. नजरू खां पुत्र श्री निजाम खान आति मुसलमान निवासी बडली की ढाणी, थाना खो नागोरियान, जयपुर।
2. जीवन सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह निासी बी–19 रेनबो कालोनी, आबकारी रोड, थाना प्रतापनगर, जयपुर। टीवीएस एक्सल 100 नम्बर RJ-14-HW-4360
3. राघवेन्द्र सिह पुत्र श्री ध्रुव सिंह निवासी गांव बंशी पहाडपुर, थाना रूदावल, जिला भरतपुर। हाल मकान नं. 36–ए, गोकुल विहार, बुद्वसिंह पुरा, थाना प्रताप नगर, जयपुर ओटो चालक नम्बर RJ-14-PE-0693
4. रामभाग मीणा पुत्र श्री सेडूराम मीणा निवासी गांव भैरूवास थाना खेडली, अलवर। हाल निवासी एच ब्लॉक, सिद्वार्थ नगर, थाना जवाहर सर्किल, जयपुर। ओटो चालक नम्बर RJ-14-PD-2851

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 14.2 किलोग्राम क्षमता के 15 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी मय 126.890 किलोग्राम एलपीजी, दो विद्युत चलित मोटर, 2 इलेक्ट्रिक कांटे, 2 एलपीजी ओटो RJ-14-PE-0693 व RJ-14-PD-2851 व एक टीवीएस एक्स 100 नम्बर RJ-14-HW-4360 एवं 5150/–रूपये को राजसात करने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री खुर्शीद अहमद अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।
3. श्री अनवर खान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।
4. श्री नूतन कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 04.10.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.11.2021 को जिला स्पेशल टीम पुलिस जयपुर पूर्व द्वारा प्रार्थी को जरिये फोन सूचना दी गई कि गीता विहार कालोनी प्रताप नगर में एक व्यक्ति घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैद्य रूप से ऑटो में गैस भर रहा है, कार्यवाही हेतु मौके पर पहुंचे। शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार प्रार्थी गीता विहार कालोनी, प्रताप नगर जयपुर पहुंचा तो एक प्लाट जिसमें एक कमरा बना हुआ है जिसमें एक व्यक्ति दो इलेक्ट्रोनिक मोटरों से दो एल पी जी ऑटो नम्बर RJ-14-PE-0693 (चालक राधवेन्द्र सिंह) व ऑटो नम्बर RJ-14-PD-2851 (चालक रामभाग) में घरेलू गैस अवैद्य तरीके से भरता हुआ मिला। मौके पर पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम नजरू खां पुत्र श्री निजाम खान निवासी बडली की ढाणी थाना खो नागोरियान बताया। मौके पर कमरे में एच पी सी के 9 घरेलू गैस

जिला कलक्टर
जयपुर

सिलेण्डर रखे हुये थे तथा दो इलेक्ट्रोनिक मोटर जिससे वह दो गैस सिलेण्डरों से दोनों ऑटो में गैस भर रहा था। वक्त जांच एक व्यक्ति टीवीएस एक्सल 100 नम्बर RJ-14-HW-4360 पर 4 एचपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर ले कर आया जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम जीवन सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह बताया एवं यह भी बताया कि वह नजरू खां को ब्लैक में सिलेण्डर देने आता है। सिलेण्डर्स बाबत जीवन सिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह ईधर–उधर से सिलेण्उर खरीद कर नजरू खां को देता है । मौके पर 13 ऑटो चालक व एक मारूति वैन चालक घरेलू गैस सिलेण्डर्स से गैस भरवाने हेतु कतार मे थे। जिन्होने पूछताछ में बातया कि नजरू खां गैस भरता है, इसलिये गैस भरवाने आये है । मौके पर टेबिल पर 5150/– रूपये भी मिले जिनके संबंध में पूछताछ करने पर नजरू खां ने बताया कि ये आज सारे दिन की गैस भराई के रूपये है। मौके पर सरस्वती गैस सांगानेर के डिलीवरी मैन को बुला कर तौल कराने पर उनमें कुल 152.890 किलोग्राम एलपीजी पाई गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य क्रय विक्रय भण्डारण एवं अवैद्य रिफिलिंग व दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर मिले 14.2 किलोग्राम क्षमता के 15 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी मय 126.890 किलोग्राम एलपीजी, दो विद्युत चलित मोटर, दो इलेक्ट्रिक कांटे, दो एलपीजी ऑटो नम्बर RJ-14-PE-0693 व ऑटो नम्बर RJ-14-PD-2851, एक टीवीएस एक्सल 100 जिसके नम्बर RJ-14-HW-4360 व 5150/–रूपये को मौके पर जब्त किया गया। प्रकरण में पुलिस थाना प्रताप नगर में एफआईआर संख्या 0732 दिनांक 23.11.2021 दर्ज करवाई गई। इस जब्त शुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी मय. 126.890 किलोग्राम एलपीजी, दो ऑटो नम्बर RJ-14-PE-0693 व ऑटो नम्बर RJ-14-PD-2851, एक टीवीएस एक्सल 100 जिसके नम्बर RJ-14-HW-4360 व 5150/–रूपये को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 28.12.2021 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री खुर्शीद अहमद अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर जबाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनवर खान एवं अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नूतन कुमावत उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौके पर कमरे में एचपीसी के 9 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुये थे तथा दो इलेक्ट्रोनिक मोटर से वह दो गैस सिलेण्डरों की द एलपीजी दोनों ऑटो में भर रहा था। वक्त जांच एक व्यक्ति टीवीएस एक्सल 100 नम्बर RJ-14-HW-4360 पर 4 एचपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर ले करा आया जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम जीवन सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह बताया एवं यह भी बताया कि वह नजरू खां को ब्लैक में सिलेण्डर देने आता है। सिलेण्डर्स बाबत जीवन सिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह ईधर–उधर से सिलेण्डर खरीद कर नजरू खां को देता है। मौके पर 13 ऑटो चालक व एक मारूति वैन चालक घरेलू गैस

जिला कलक्टर
जयपुर

सिलेण्डर्स से गैस भरवाने हेतु कतार मे थे। जिनसे पूछताछ करने पर बताया कि नजरू खां गैस भरता है, इसलिये गैस भरवाने आये है। मौके पर टेबिल पर 5150/— रूपये भी मिले जिनके संबंध में पूछताछ करने पर नजरू खां ने बताया कि ये आज सारे दिन की गैस भराई के रूपये है। मौके पर सरस्वती गैस सांगानेर के डिलीवरी मैन को बुला कर तौल कराने पर उनमें कुल 152.890 किलोग्राम एलपीजी पाई गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य कय विकय भण्डारण एवं अवैद्य रिफिलिंग व दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी मय 126.890 किलोग्राम एलपीजी, दो ऑटो नम्बर RJ-14-PE-0693 व ऑटो नम्बर RJ-14-PD-2851, एक टीवीएस एक्सल 100 जिसके नम्बर RJ-14-HW-4360 व 5150/—रूपये को राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि वास्तविकता यह है कि जब्त शुदा 15 सिलेण्डर प्रार्थी की भूमि से बरामद किये गये है और उक जब्त शुदा सिलेण्डर की चार पास बुक प्रार्थी के पास है। इलेक्ट्रिक कांटे का बिल प्रार्थी के पास है और 5000/—रूपया नगद एवं दो विद्युत चलिक मोटर एवं एक काउन्टर जो कि पुलिस ने प्रार्थी से बरामद किया वो भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त सामान प्रार्थी को देने का आदेश फरमावे।
6. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 की मोटर साईकिल पास में खडी थी। उससे कोई गैस सिलेण्डर नहीं लेकर गया फिर भी मोटर साईकिन को जब्त कर लिया गया है। प्रार्थी की मोटर साईकिल किसी अपराध में संलिप्त नही है। अतः मोटर साईकिल रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे।
7. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गाडियों में एल पी जी भरने का कार्य किया जा रहा था। इसलिए ऑटो मे गैस भवाने के लिए खडे थे, जिनको प्रार्थी द्वारा जब्त कर लिया गया। जब्त ऑटों किसी अपराध में संलिप्त नही है। अतः जब्त ऑटो को रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे।
8. हमने पैरोकार उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 23.11.2021 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
9. अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जब्त गैस सिलेण्डर्स बाबत जो दस्तावेज पेश किये है वे घरेलू उपयोग हो कर अन्य पृथक पृथक जगह के पेश किये गये है जिनका एक जगह पर भण्डारण नहीं किया जा सकता है। घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर के मुकाबले कम दर पर उपलब्ध कराये जाते है, जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने जांच 15 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी मय एल.पी.जी. 126.890 किलोग्राम, दो ऑटो नम्बर RJ-14-PE-0693 व ऑटो नम्बर RJ-14-PD-2851 में दो विद्युत चालित मोटर से घरेलू गैस भरते हुये पाया गया है तथा दो इलेक्ट्रिक कांटे व एक टीवीएस एक्सल 100 जिसके नम्बर RJ-14-HW-4360 एवं 5150/—रूपये पाये गये है। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर से ऑटो में गैस स्थानान्तरण करने की पुष्टि होती है तथा अप्राथी संख्या एक की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति सिद्व होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य क्रय, विक्रय, भण्डारण किया जा कर अवैद्य रूप से वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता

जिला कलेक्टर
जयपुर

है। फलस्वरूप जब्त शुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी मय एल.पी.जी. 126.890 किलोग्राम, दो इलेक्ट्रिक कांटे व दो विद्युत चालिक मोटर को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 15 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी मय एल. पी.जी.. 126.890 किलोग्राम, दो इलेक्ट्रिक कांटे व दो विद्युत चालिक मोटर को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेंण्डर्स मय एलपीजी दो इलेक्ट्रिक कांटे व दो विद्युत चालक मोटर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 28.12.2021 को पारित किये जाकर दिनांक 03.01.2022 को तहरीर जारी की गई है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें ।

11. प्रकरण में जब्त ऑटो नम्बर RJ-14-PE-0693 व ऑटो नम्बर RJ-14-PD-2851 एवं एक टीवीएस एक्सल 100 नम्बर RJ-14-HW-4360 संबंधित मालिक को जमानत सिपुदर्गीनामा पर रिलीज किये गये है, उनके जमानत मुचलके निरस्त किये जाकर प्रकरण में रिलीज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्त 5150/–रूपये अक्षरे पांच हजार एक सौ पचास रूपये संबंधित को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

12. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

13. निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर